न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थितः अनुपम कुमार, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण संख्या-**938** सन् **2026**

उ०प्र० राज्य बनाम राहुल गुप्ता

मु०अ०संख्या-**11** सन् **2026**

अन्तर्गत धारा-103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता व

धारा-4/25 आयुध अधिनियम।

थाना-मड़िहान, जिला-मीरजापुर।

आरोप

मैं, अनुपम, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्त राहुल गुप्ता को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक 12/13.01.2026 को समय रात करीब 02:00 बजे, बहदस्थान ग्राम पटेवर, क्षेत्रान्तर्गत थाना-मड़िहान, जनपद-मीरजापुर में आपने वादी मुकदमा राजकुमार गुप्ता की सास उषा देवी व साले आयुष गुप्ता की लोहे के चापड़ से हत्या कारित किया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा-103(1) के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा राजकुमार गुप्ता की सास उषा देवी व साले आयुष गुप्ता की हत्या कर साक्ष्य विलोपित करने का अपराध किया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा-238 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर समक्ष गवाहान उक्त घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद लोहे का चापड़ बरामद किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो आयुध अधिनियम की धारा-4/25 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-**15.07.2026**

(अनुपम कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP1902

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये गए। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और अपने विचारण की मांग की।

दिनांक-**15.07.2026**

(अनुपम कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP1902

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या-**938** सन् **2026**

उ०प्र० राज्य बनाम राहुल गुप्ता

मु०अ०संख्या-**11** सन् **2026**

अन्तर्गत धारा-103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता व

धारा-4/25 आयुध अधिनियम।

थाना-मड़िहान, जिला-मीरजापुर।

<u>15.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त राहुल गुप्ता जिला कारागार से समक्ष न्यायालय उपस्थित है।

अभियुक्त की ओर से चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित हैं।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का वर्णन करते हुए बताया कि अपराध को सिद्ध करने के लिए कैलेन्डर/आरोप पत्र में वर्णित साक्षीगण को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाएगा, यदि आवश्यकता हुई तो अन्य साक्षीगण को भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

मैनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की आरोप पर बहस सुनी। मेरी राय में पत्रावली पर प्रथम दृष्टया यह अवधारित करने हेतु पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त राहुल गुप्ता के विरुद्ध धारा-103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता व 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप विरचित किये जाए।

तद्नुसार अभियुक्त राहुल गुप्ता के विरुद्ध धारा-103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता व 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 29.07.2026 को पेश हो। साक्षीगण तलब हों।

दिनांक-**15.07.2026**

सत्र न्यायाधीश,

मीरजापुर।

Digitally signed by ANUPAM KUMAR
Date: 2026.07.18 16:31:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court